

5/8/2021

वादी एवं इसके अधिवक्ता ने उपरि-
प्रकरण को विद्वे करने का प्राथमिक पत्र प्रस्तुत
किया गया जिस पर पत्रावली को लीगह से
तलब लेकर पत्रावली पत्रकारित के मध्य सम्झौता
के जले लै दोनो पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहेंगे।


रामचन्द्र
T. G. M. S.
गणेशदास
N



FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>रुखा वाद प्रकरण को अब और आगे चलाता नहीं था है। वादी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है रुखा वाद प्रकरण को विद्ये की क्षमता प्रदान की जाती है। पत्रावली में सब कोर्ट कार्यवाही प्रेष नहीं रखी है। इस कारण वाद प्रकरण को इसी स्तर पर शेष किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभा लोका वाचक से कम है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी इंगला </p>	